

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 484]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 22 अक्टूबर 2013—आश्विन 30, शक 1935

गृह (सामान्य) विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2013

क्र. एफ-01-55-2009-दो-ए (3).—मध्यप्रदेश लोक परिसर (बेदखली) अधिनियम, 1974 (क्र. 46/1974) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, श्रीमती अजीजा सरशार जफर, आवंटन अधिकारी, संपदा संचालनालय, भोपाल को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक 30 सितम्बर 2013 से उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये नगर निगम, भोपाल सीमाक्षेत्र हेतु सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लक्ष्मीकांत द्विवेदी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2013

क्र. एफ-01-55-2009-दो-ए (3).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना दिनांक 22 अक्टूबर 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लक्ष्मीकांत द्विवेदी, उपसचिव.

Bhopal, the 22nd October 2013

No. F-01-55-2009-II-A(3).—In exercise of the power conferred by Section 3 of Madhya Pradesh Lok Parisar (Bedakhali) Adhiniyam, 1974 (No. 46 of 1974), the State Government hereby appoints Smt. Aziza Sarshar Zafar, Allotment Officer, Directorate of Estate, Bhopal as Competent Authority, with effect from the date 30th September 2013 of his taking over charge for the purpose of the said Adhiniyam within the jurisdiction of Municipal Corporation, Bhopal.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
LAXMI KANT DWIVEDI, Dy. Secy.